



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन 'क' वर्ग  
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 Web- <http://govt.ua.nic.in/pwd> E-Mail- [estapwd@gmail.com](mailto:estapwd@gmail.com)

पत्रांक- ३८ / ३४व्यक-स्थानान्तरण-सा० / २०२५

दिनांक:- ०३/०४/२०२६

:-कार्यालय ज्ञाप:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम २०१७ के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग के समूह क/ख/ग के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु सुगम से दुर्गम स्थलों का चिन्हीकरण के क्रम में इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-३५४/३४व्यक-स्थानान्तरण-सा०/२६, दिनांक-३१.०३.२०२६ के द्वारा जनपद नैनीताल के क्षेत्रान्तर्गत कार्यालय द्वितीय वृत्त, लो०नि०वि०, नैनीताल, प्रा०/नि०/नि० खण्ड-२, (ए०डी०बी०), नैनीताल को सुगम से दुर्गम श्रेणी में किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। पूर्व में जनपद नैनीताल में नैनीताल मुख्यालय ए०डी०बी०, आपदा खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल सृजित था जिसे शासकीय ज्ञाप दिनांक-११.०७.२०१८ द्वारा समाप्त/समायोजित कर दिया गया है।

उक्त क्रम में कार्यालय ज्ञाप दिनांक-३१.०३.२०२६ के अनुपालन में विभागीय कार्मिकों द्वारा ए०डी०बी०, आपदा खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल में की गई सेवा को एच०आर०एम०एस० पोर्टल पर दुर्गम श्रेणी में अंकित किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

(इं० राजेश चन्द्र)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान/नियोजन), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय/रा०मा०/ए०डी०बी०/वि०यां०, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर, आई०टी०सैल विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार एच०आर०एम०एस० पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
7. अधिशासी अभियन्ता, (आई०टी०), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि कार्यालय ज्ञाप को विभागीय बैवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8. गार्ड पत्रावली हेतु।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

03/04/26